कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ऑडिट भवन, टीसी-35-V-1, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ-226010

सं. प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./316/HQ Corres./ |4-8

दिनांक: 08 /10/2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय कार्यालय के निर्देशों के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर Audit Impact को राज्य सरकार से Pursue करने का कार्य तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा। अग्रेतर, कार्यालय के विभिन्न प्रतिवेदन अनुभाग के nomenclature में परिवर्तन एवं COPU/PAC के सम्बन्ध में नोडल अनुभाग को तालिका में विवरण के अनुसार नामांकित किया जाता है:

क्रम सं	वर्तमान नामांकन	नवीन नामकरण
1	प्रतिवेदन-पीएसयू	प्रतिवेदन अनुभाग - 1 : (पीएसयू एवं आडिट इम्पैक्ट, COPU/PAC हेतु नोडल)
2	प्रतिवेदन-नॉन पीएसयू	प्रतिवेदन अनुभाग -2 : (नॉन पीएसयू एवं आडिट इम्पैक्ट)
3	प्रतिवेदन-राजस्व	प्रतिवेदन अनुभाग -3 : (राजस्व एवं आडिट इम्पैक्ट)

- समस्त प्रतिवेदन अनुभाग तत्काल प्रभाव से नवीन नामकरण के अनुरूप पत्राचार आदि करेंगे, COPU/PAC तथा Audit Impact सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा अपने कार्योधिकार क्षेत्र अंतर्गत स्वयं निष्पादित किए जाएँगे।
- मुख्यालय अथवा राज्य सरकार आदि से COPU/PAC से सम्बंधित प्रकरणों में पत्राचार प्रतिवेदन अनुभाग-1: पीएसयू एवं ऑडिट इम्पैक्ट द्वारा सम्पादित किए जाएँगे।

Office Order

In pursuance of the instructions of Headquarters Office, after the approval of the competent authority, the work to pursue the "Audit Impact" of Audit Reports with the State Government will be executed by the Report Sections as per the details given in the table:

Further, the nomenclature of Report Sections of the office and the nodal sections for COPU/PAC are nominated as per the details given in the table below:

S. No.	Present Nomenclature	New Nomenclature
1	Report – PSU	Report Section –1 (PSU & Audit Impact, Nodal for COPU/PAC)
2	Report - Non-PSU	Report Section- 2 Non-PSU & Audit Impact
3	Report – Revenue	Report Section – 3 Revenue & Audit Impact

- All Report Sections shall henceforth conduct correspondence and related work as per the new nomenclature. The basic works related to COPU/PAC and Audit Impact shall be dealt with by the respective Report Sections as per respective jurisdiction.
- The correspondence with the Headquarters Office and State Government etc. in related to COPU/PAC shall be carried out by the Report Section –1: (PSU & Audit Impact).

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥), उ.प्र., लखनऊ

2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालयं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥), उ.प्र., लखनऊ

3. व.ले.प.अ./AMG-I, AMG-III, AMG-IV नियंत्रण, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ

4. व.ले.प.अ./विधिक प्रकोष्ठ/सामान्य प्रशासन/पी.सी./प्रतिवेदन-PSU/Non-PSU/राजस्व/ आई.टी.ए/हिन्दी प्रकोष्ठ/समन्वय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥), उ.प्र., लखनऊ

5. व.ले.प.अ./आई.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कृष्ट करें ।

6. सूचना पट्ट

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन